श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 12 अप्रैल, 1985

सं. ओ. वि./फरीदाबाद/13-85/15506.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. ईलाईट सेरामिक्स प्रा. लि., प्लाट नं० 161, सैक्टर-24, फरीदाबाद. के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामले है, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

1. क्या सभी श्रमिक वर्ष 1983-84 का 20 प्रतिशत की दर से बोनस लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

2. क्या सभी श्रमिक प्रति वर्ष 2 जोड़ी टैरीकाट की वर्दी तथा जूते लेने के हकदार है ? यदि हां तो किस विवरण में ?

3. क्या सभी श्रमिक प्रतिदिन आधा किलो दूध, एक पाव गुड़ लेने के हकदार है ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

4. क्या सभी श्रमिक प्रति माह 2 किलो साबुन लेने के हकदार है ? यदि हां तो किस विवरण में ?

5. क्या भट्टी मोल्डिंग सैन्टर फायरिंग पर कार्य करने वाले सभी श्रमिक 25 रु. अतिरिक्त राशि लेने के हकदार है ? यदि हां तो किस विवरण में ?

दिनांक 16 अप्रैल, 1985

सं० ओ०वि०/अम्बाला/11-85/15921.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० हरकल्याण वाईन्डरज एण्ड प्रिन्टिर्ज, कोठी नं. 30-34, सैक्टर-18, पंचकूला (हरियाणा), के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को, नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धि मामला हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं

क्या श्रमिक वर्ष 1982-83 का 20 प्रतिशत बोनस लेने के हकदार हैं ? यदि हां तो किस विवरण में ?

सं० ओ०वि०/भिवानी/13-84/15950.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा; (2) हरियाणा राज्य परिवहन, भिवानी, के श्रमिक श्री विचित्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6

नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.-एस-श्रो (ई)श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री विचित्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 22 अप्रैल, 1985

सं. श्रो.वि./एफ.डी./87-84/17335.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. राजी मशीन टूल्ज, सैक्टर-27ए, फरीदाबाद, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या कारखाना के श्रमिक एक गर्म वर्दी एवं तीन ठण्डी वर्दी के हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण में ?

एम. सेठ,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

दिनांक 4 अप्रल, 1985

सं. श्रो.वि./फ़रीदाबाद/28-85/14094.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एच. एस. मर्कनिकल वर्कस 1सी/69, एन० आई० टी०, फरीदाबाद के श्रमिक श्री विरेन्द्र कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1958, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री विरेन्द्र कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. श्रो. वि./फ़रीदाबाद/28-85/14101.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एच. एस. मर्कनिकल वर्कस, 1सी/69, एन. आई. टी., फरीदाबाद, के श्रमिक श्री अरुण कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है :

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968,

के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री अरुण कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./फ़रीदाबाद/28-85/14108.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एच. एस. मर्कनिकल वर्कस, 1सी/69, एन. आई. टी., फ़रीदाबाद, के श्रमिक श्री मथुरा पंडित तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामला में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम 88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : —

क्या श्री मथुरा पंडित की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 11 अप्रैल, 1985

सं. ओ.वि./रोहतक/216-84/15144.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवाहन आयुक्त, हरियाणा रोडवेज, चण्डीगढ़, (2) जनरल मनेजर, हरियाणा रोडवेज, सोनीपत, के श्रमिक श्री धर्मवीर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1)के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए-एस-ओ. (ई)-श्रम/70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बंधित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :—

क्या श्री धर्मवीर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/रोहतक/26-85/15152.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. जनता ग्रामोद्योग समिति, दिल्ली पोट्रीज, उद्योग, बहादुरगढ़ (रोहतक), के श्रमिक श्री जीवत यादव तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए. एस. ओ.(ई)श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :—

क्या श्री जीवत यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?